उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradsesh Undertaking)
CIN-U32201UP1999SGC024928

संख्या–201–पें0एण्डआर0–28 / पाकालि / 19–60–पी0 / 98(टी0सी0– I), दिनांक 14 मार्च, 2019

कार्यालय ज्ञाप

विषय : उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों, केस्को, कानपुर के पेंशनरों की दिनांक 01.01.2016 के पूर्व लागू वेतन संरचना में स्वीकृत अनन्तिम पेंशन का सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत पुनरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय पर उ0प्र0 शासन के ऊर्जा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–11 / 2018 / 1550 / 24–पी–2–18–सा(144) / 17, दिनांक 07.09.2018 के माध्यम से प्रदान की गई अनुमति के अनुक्रम में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसकी वितरण कम्पनियों तथा केस्को, कानुपर के अनन्तिम पेंशनरों के अनन्तिम पेंशन का पुनरीक्षण उ0प्र0 शासन, वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–39 / 2016–सा–3–923 / दस–2016–308 / 2016, दिनांक 23.12.2016 की व्यवस्थाओं के अनुसार निम्नवत कराये जाने का आदेश किया जाता है–

1– उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों तथा केस्को, कानपुर के ऐसे अनन्तिम पेंशनर्स जो दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं एवं जिन्हें अपुनरीक्षित वेतनमानों के आधार पर अनन्तिम पेंशन प्राप्त हो रही है उनके अनन्तिम पेंशन का पुनरीक्षण प्राप्त हो रही अनन्तिम पेंशन को 2.57 के गुणांक के आधार पर सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित किया जायेगा।

2– दिनांक 01.01.2016 अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त ऐसे कार्मिक जिनके वेतन का पुनरीक्षण किन्हीं कारणों से सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है, उनके मामलों में अपुनरीक्षित वेतन के आधार पर अनुमन्य अनन्तिम पेंशन का पुनरीक्षण सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत 2.57 के गुणांक के आधार पर किया जायेगा।

3– मा0 न्यायालय में विचाराधीन मामलों के कारण स्वीकृत अनन्तिम पेंशन के समस्त अनन्तिम पेंशन के प्रकरणों का पुनरीक्षण सातवें वेतन आयोग में 2.57 के गुणांक के आधार पर किया जायेगा।

4– अनन्तिम पेंशनर्स जो 12 माह पूर्व अथवा अधिक अवधि से अनन्तिम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं से सम्बन्धित (कोर्ट केस से सम्बन्धित अनन्तिम पेंशनर्स के मामलों को छोड़कर) अनन्तिम पेंशन के भुगतान अवधि के विस्तारण की अनुमति शासन द्वारा दिनांक 31.03.2019 तक ही प्रदान की गई हैं इसलिए ऐसे प्रकरणों में अनन्तिम पेंशन को दिनांक 31.03.2019 तक अन्तिम रूप से स्वीकृत कर अन्तिम पेंशन का पुनरीक्षण कारपोरेशन के आदेश संख्या–1320–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 17–60पी / 98(टी0सी0– I), दिनांक 29.12.2017 के अनुसार सातवें वेतन आयोग में किया जायेगा।

5– शासन द्वारा सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत उ0प्र0 पावर कारपोरेशन एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों के अन्तिम पेंशन / पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के अवशेषों का लाभ दिनांक 01.01.2018 से अनुमन्य कराये जाने की अनुमति प्रदान की है इसलिए उक्त आधार पर सातवे वेतन आयोग के अन्तर्गत पुनरीक्षित अनन्तिम पेंशन के अवशेषों का लाभ भी दिनांक 01.01.2018 से ही भुगतान किया जायेगा।

उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत अनन्तिम पेंशन का पुनरीक्षण शासनादेश संख्या–39 / 2016–

......2

सा–3–923 / दस–2016–308 / 2016, दिनांक 23.12.2016 के प्राविधानानुसार अनन्तिम पेंशन भुगतान आदेश जारीकर्ता अधिकारी स्तर से किया जायेगा।

अध्यक्ष

संख्या–201–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 19, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ को शासनादेश संख्या–11 / 2018 / 1550 / 24–पी–2–18–सा(144) / 17, दिनांक 07.09.2018 के सन्दर्भ में प्रेषित।
6. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
8. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल / पूर्वांचल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ / वाराणसी / मेरठ / आगरा / केस्को–कानपुर।
9. समस्त मुख्य अभियन्ता / अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र पावर कारपोरेशन लि0 / विद्युत वितरण कम्पनियां।
10. पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विसतार, लखनऊ।
11. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) / विधि अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. समस्त जिला कोषाधिकारी, उ0प्र0।
13. सचिव, पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 / विद्युत वितरण कम्पनियां।
15. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी / क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
16. वरिष्ठ लेखाधिकारी / लेखाधिकारी (पेंशन), लखनऊ को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
17. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
18. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
19. कट फाईल।

आज्ञा से,

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)